न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 26/2016

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. बाबुलाल पुत्र चुनाराम जाति सुथार निवासी सोरड़ा 2. खेताराम पुत्र वजई जाति कलबी निवासी सोरड़ा 3. पुनमाराम पुत्र दानाजी जाति कलबी निवासी सोरड़ा 4. लाधाराम पुत्र दानाजी जाति कलबी निवासी सोरड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही		1. लवगोदेवी पत्नी डायाराम जाति कलबी निवासी सोरड़ा तहसील रेवदर जिला सिरोही 2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रेवदर जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री नगेन्द्र मेडतिया, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री दलपतराज परमार, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1

सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 5.11.18

-----0-----

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 84/2013 लवगो बनाम बाबुलाल वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 एवं 05.04.2016 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53, 188 के तहत विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत किया, जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु Under taking ली, किन्तु उनके द्वारा न तो वकालतनामा प्रस्तुत किया एवं न ही जवाबदावा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रस्तुत किया। इस प्रकार उनके द्वारा प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के जवाब के अवसर को बन्द करते हुए प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी कर दी। वास्तविक तथ्य यह है कि उक्त भूमि का पूर्व में विभाजन हो चुका है, जिसके तहत अपीलाण्ट को कम उपजाऊ भूमि प्रदान करने के कारण अपीलाण्ट को 1 बीघा भूमि अधिक दी गई है, जिसे अपीलाण्ट द्वारा काफि रूपये खर्च कर काश्त योग्य बनाया, इसी अनुसार अपीलाण्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट मौके पर काबिज काश्त है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ, उसमें इन तथ्यों को नजरअन्दाज किया गया है। चूंकि अपीलाण्ट को वाद में प्रतिरक्षा करने का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया, इस कारण अपीलाण्ट उक्त तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रकट ही नहीं कर पाया। इसके अतिरिक्त प्रकरण में पटवारी हल्का एवं भू0अ0नि0 द्वारा तैयार किए गए प्रस्ताव को ही तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अग्रेसित कर दिया, जबकि विधि अनुसार तहसीलदार को मौका निरीक्षण कर पक्षकारान् की उपस्थिति में विभाजन प्रस्ताव तैयार करना था, जो नहीं किया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपनी मनमर्जी अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की है, जो विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील निर्णय एवं डिक्री को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विभाजन हेतु वाद प्रस्तुत किया था। अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हुए थे, जिनके द्वारा किसी प्रकार का जवाब आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। यदि अपीलाण्ट की ओर से उन्हे पैरवी नहीं करनी थी, तो वे No Instruction plead करते, किन्तु उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उन्हे जवाब का समुचित अवसर प्रदान किया गया, इसके बावजूद भी उन्होने जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् के आधार पर जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की। जिस भूमि पर अपीलाण्ट ने स्वयं का कब्जा काश्त होना बताया है, विभाजन में वही भूमि उनके हिस्से में रखी गई है। जहां जिस पक्षकार का कब्जा है, उसी के अनुसार हिस्से में जितनी भूमि आती है, तदन्सार विभाजन की डिक्री पारित की है, जो विधि सम्मत है। तहसीलदार द्वारा नियमों की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश दिनांक 12.12.2015 एवं 05.04.2016 को पारित किया गया है, जिसकी अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 10.08.2016 को प्रस्तुत की गई है, जो निर्णय पारित होने के लगभग 4 माह की अवधि व्यतीत होने के पश्चात प्रस्तुत की गई है। जो स्पष्टतया मियाद बाहर है। अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु अपीलाण्ट द्वारा परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया। इसमें अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी का कारण अपीलाण्ट को जैर अपील निर्णय की जानकारी अन्तिम डिक्री की पालना हेतु मौके पर सीमांकन होने से जानकारी होना बताया। रेस्पोडेन्ट अधिवक्ता ने इस पर आपत्ति व्यक्त करते हुए अपील को मियाद बाहर होना बताते हुए अपील खारिज कराने का निवेदन किया। जहां तक मियाद का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में विभिन्न प्रकरणों में तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण की परिस्थितियों पर मियाद को अवधारित किया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा आर0आर0टी0 2004 (2) पेज 698 में प्रतिपादित किया कि "पक्षकारों के अधिकार मेरिट पर निर्णीत करने चाहिये – तकनीकी आधारों पर पक्षकार को न्याय से वंचित नहीं करना चाहिये।" अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात्, उभयपक्ष की दलीलों एवं प्रकरण में निहित न्याय के सारभूत प्रश्नों के विनिश्चय हेतु अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। तद्नुसार अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन किया जाता है।

अब गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, अपीलाण्ट संख्या 2 से 4 का 1/4 हिस्सा तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का 1/2 हिस्सा है। उक्त भूमि का विधिक विभाजन हेतु रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। उक्त वाद में अपीलाण्ट की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत करने हेतु Under taking ली, किन्तु उनके द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत नहीं किया गया। जब वकालतनामा प्रस्तुत ही नहीं किया गया, तो अधीनस्थ न्यायालय का यह कर्तव्य था कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त को दृष्टिगत रखते हुए अपीलाण्ट को पैरवी हेतु पुनः नोटिस जारी करते, जो नहीं किया गया एवं जिनके द्वारा Under taking ली, उन्ही को अपीलाण्ट की ओर से उपस्थित मानते हुए प्रकरण में समस्त कार्यवाही की गई, जबकि वे अपीलाण्ट की ओर से न्यायालय के समक्ष पैरवी हेतु अधिकृत ही नहीं थे। इसके पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री पारित कर जैर अपील विवादित आराजी का राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के आदेश तहसीलदार रेवदर को पारित किए। उक्त आदेश की पालना में जो विभाजन प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्राप्त हुआ है, वह भू0अ0नि0 एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जिसे तहसीलदार रेवदर द्वारा अपने पत्रांक/भू0अ0/2016/712 दिनांक 15.03.2016 के जरिये अग्रेसित किया है। यह स्थिति विधि सम्मत नहीं है। विभाजन के सम्बन्ध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम (राजस्व मण्डल) नियम 18 से 21 के अनुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार द्वारा तैयार किया जाना आज्ञापक है। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 20 में सक्षम न्यायालय की वाद में दी गई डिक्री द्वारा जोत का विभाजन करने का प्रावधान निम्न प्रकार है – S..20 of RAJASTHAN TENANCY (Revenue Board) Rules, 1955 - 20 DIVISION OF HOLDING BY DECREE.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Same as provided in Rule 19 in a division of holding by the decree or order of a competent court passed in a suit by one or more of the co-tenant for the purpose of dividing the holding the distributing the rent thereof over the several portions into which it is divided the following principles shall be observed:-

(a) The valuation of the portion allotted to each party shall be proportionate to his share in the holding.

(b) The portion allotted to each party shall be as compact as possible.

(c) As far as possible, no party shall be given all the inferior or all the superior quality of land.

(d) As far as possible, existing fields shall not be split up.

(e) Plots which are in the separate possession of a tenant shall, as far as possible, be allotted to the tenant, if they are not in excess of his share.

Division of Holding by Agreement or by Order of Court"

नियम 21 में नक्शा बनाना और उपविभाजित खेतों का अंकन करने का प्रावधान इस प्रकार है कि तहसीलदार नक्शा बनाएगा और उसे अभिलेख पर रखेगा, जिसमें प्रत्येक पक्षकार को दिया गया भूखण्ड अलग–अलग रंगों से दिखाया जायेगा और किसी खेत को उपविभाजित किया गया है, तो वह पक्षकारों के खर्चे पर उनके भाग को चिन्हित/अंकित करेगा। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार ही नहीं किया गया, इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है। इसी सन्दर्भ में माननीय राजस्व मण्डल की मुख्य पीठ द्वारा आर0आर0डी0 2017 पेज 679 में निम्न अभिमत प्रकट किया है –

Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules , 1955, Rules 18 to 21 - Reference - Preparation of proposal for division by Tehsildar - Question for consideration is whether under Rules 18 to 21 of Rajasthan Tenancy (Board of Revenue) Rules , 1955, proposal for division to be prepared by Tehsildar is mandatory or Tehsildar may sub-delegate his administrative power in respect of preparation of proposal for division - Held, it is mandatory for Tehsildar that he himself inspect site and prepare proposal for division of holdings - He may entrust ministerial work to its subordinate Naib Tehsildar, ILR or Patwari etc., for preparation of map and demarcation of sub-divided field and filing of colours - Imperative upon Tehsildar that he himself prepare report under his seal and signature, he can not forward report prepared by ILR, Patwari and draftsman without application of his mind - Directions to SDO to ensure that report submitted before him prepared by Tehsildar as per law and if report not prepared by Tehsildar himself then SDO to return it to Tehsildar for preparation of report - Direction to Registrar, Board of Revenue to send copy of judgment to all concerned for compliance and action.

उपरोक्त न्याय निर्णय से यह स्थिति प्रकट होती है कि नियम 18 से 21 में जो प्रावधान प्रदत्त है, उसके अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहसीलदार ही अधिकृत है, जिनके द्वारा न तो प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया एवं न उपरोक्त विधिक बिन्दुओं की पालना की। इसके बावजूद भी न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है, जो विधिक प्रावधानों के विपरित होने से समर्थन योग्य नहीं है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रेवदर द्वारा राजस्व वाद संख्या 84/2013 लवगो बनाम बाबुलाल वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.12.2015 एवं 05.04.2016 को अपास्त को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण में पक्षकारान् को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर तनकीयात कायम कर, तनकीयात पर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 20 नियम 5 के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार पृथक पृथक विनिश्चय करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 5-11-2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प सिरोही

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली